डिलीवरी चालान

बिना बिक्री के भेजा माल (CGST नियम 55): टैक्स इनवॉइस नहीं

दुकान का नाम _____ **GSTIN** _____

पता _____ **फ़ोन** _____

चालान नं. _____ **तारीख** _____

किसे (माल पाने वाला) _____ **GSTIN / UIN (अगर रजिस्टर्ड है)** _____

पाने वाले का पता _____ **मोबाइल** _____

गाड़ी नं. _____ **सप्लाई की जगह (राज्य, दूसरे राज्य में जाए तो)** _____

किस लिए (एक पर ✓): □ अप्रूवल पर (जांगड़) □ जॉब वर्क (दर्ज़ी / कारीगर) □ गोदाम / ब्रांच को □ अन्य

कॉपी: □ पाने वाले के लिए (ओरिजिनल) □ ट्रांसपोर्टर के लिए (डुप्लीकेट) □ भेजने वाले के लिए (ट्रिप्लीकेट)

क्र.	सामान / विवरण	साइज़ / रंग	HSN	भेजे नग	दर ₹	कीमत ₹	GST %*	टैक्स ₹*	बिल बना	वापस आए	अभी बाहर
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
कुल											

कीमत शब्दों में _____

* GST दर और टैक्स सिर्फ़ तब, जब माल बिक्री के लिए पाने वाले को जा रहा हो। अप्रूवल, जॉब वर्क या ट्रांसफ़र में ख़ाली छोड़ें।

नियम 55 (CGST): जॉब वर्क या बिक्री के अलावा किसी कारण से माल जाए तो बिल की जगह नंबर वाला चालान (16 अक्षर तक); बिक्री के लिए जाए तो तीन कॉपी। अप्रूवल का माल: ग्राहक रख ले तब बिल बनाएँ, और भेजने के 6 महीने के अंदर (धारा 31(7))। ₹50,000 से ज़्यादा माल पर ई-वे बिल लग सकता है (नियम 138)। यह टैक्स सलाह नहीं: अपने CA से पक्का करें।

ऊपर लिखा माल ठीक हालत में मिला

पाने वाले के हस्ताक्षर _____ **दुकान की ओर से (हस्ताक्षर)** _____